"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 107] रायपुर, सोमवार, दिनांक 27 मार्च 2017—— चैत्र 6 , शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 मार्च 2017

अधिसूचना

क्रमांक 2512/690/21-ब/छ.ग./2017. — छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्र. 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 9031/3030/21-ब/छ.ग./2011 दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

अनुसूची के कॉलम 5 में, शब्द "संबंधित जिले का विधिक सहायता अधिकारी" के स्थान पर, शब्द "संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत जिला मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठतम लिपिक" प्रस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार होता, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.